0

16.55 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF DELIMITATION (AMENDMENT) ORDINANCE

AND

DELIMITATION (AMENDMENT) BILL

Title: Combined discussion on the statutory resolution regarding disapproval of Delimitation (Amendment) Ordinance, 2003, moved by Shri Priya Ranjan Dasmunsi (Resolution negatived) and consideration of the Delimitation (Amendment) Bill, 2003, moved by Shri Arun Jaitley. (Bill passed).

MR. CHAIRMAN : The House will now take up item nos. 20 and 21 together. Shri Iqbal Ahmed Saradgi − Not present.

Shri Priya Ranjan Dasmunsi.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 6 of 2003) promulgated by the President on 31 October, 2003"

Sir, the course of taking the ordinance route by the Government in this case also was not justified because if you kindly see the interpretation and justification given by the Law Minister, in his own explanatory statement, it says that the Commission was also to refix the seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on the basis of 1991 Census. It also says that the Chairman of the Delimitation Commission, Justice Kuldip Singh, in his letter addressed to the then Minister of Law and Justice, expressed the view that the general feeling was that delimitation should be done on the basis of 2001 Census instead of 1991 Census. But the Law Minister did not mention as to on which day and which month the Chairman of the Delimitation Commission apprised the Law Ministry about it. Is it before 3rd March, 2003 or afterwards? If it long before 3rd March, 2003, then, I think, the Law Minister could have informed the House about it before bringing the Constitution (Amendment) Bill and the task could have been made easier. However, I do not question the bona fide of the Law Minister. He consulted all the political parties and thereafter he brought the Constitution (Amendment) Bill.

Sir, the moment the Constitution (Amendment) was passed, the legal implications were known to the Law Ministry that to accommodate the seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the nominations of the Governors in the North Eastern States are also required. So, he should not have sat on it for so long and then come out with this ordinance. The urgency was not there. There is no election in any of the North Eastern States now. He could have straight away come with this Bill in this Session. Who is opposing him? We are all supporting him. What was the urgency to bring about an ordinance instead of bringing the Bill in this Session? I could not understand the reason for this. I can understand the case of Delhi even though I was not fully satisfied.

Sir, the Assembly election was held in the State of Mizoram recently. Is it because of Mizoram Assembly election that delimitation was required? No. The Mizoram Assembly election was held in the normal course without delimitation of constituencies. So, what was the urgency to bring about the ordinance? That is the point he did not explain in his statement and that is why I gave the notice for disapproval of this ordinance.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Delimitation Act, 2002, be taken into consideration."

Sir, the amendment with regard to the base year in accordance with which the delimitation has to be carried out is a two phase amendment. In the first phase, the Constitution of India is required to be amended. This House as also the other House had amended the Constitution providing for 1991 to act as the base year for delimitation. This was on the premise that the Census data of 2001 would only be available towards the later part of this year. However, after the Constitution (Amendment) Bill was passed, the Delimitation Bill, 2002 was also approved by this House. Thereafter, the Delimitation Commission was constituted and the Delimitation Commission started conducting its exercise in various States, particularly in those States which were to go to polls this year.

17.00 hrs.

When this exercise had started, representations started coming from almost all political parties in this House as also in the States with regard to certain procedures being followed by the Delimitation Commission. One issue on which a larger consensus developed in this House was that it would better to wait for the Census report to be notified and on the basis of that Census report, to be notified, to conduct the delimitation on the basis of 2001 Census because the next delimitation would only take place post-2026. It was because of this factor a Constitution amendment was introduced in this House, approved by both the Houses of Parliament and thereafter, after the consent of the President was taken, after the due procedure was followed, the Constitution amendment was duly notified.

Once that Constitution amendment became a part of the Constitution itself, we held consultations with the Delimitation Commission

and one, of course, was a matter of formality that what was on the Constitution amendment itself, that is, the 2001 as the base year. A consequential amendment in three sections of the Delimitation Act had to be done where the numerical 1991 had to be replaced by 2001.

Secondly, it was noticed in relation to three States, namely, Meghalaya, Mizoram and Nagaland that there was no State Election Commission appointed by the Governor. Therefore, a difficulty was arising as to who would be the nominee, the third nominee for delimitation in the context of those States. Therefore, a special provision was required and after consultation this provision was introduced, which is a part of this Ordinance, that in the context of three States, it would be the person nominated by the Governor of that State for that particular purpose.

Since post-Constitution amendment, it was the necessity to give effect to this and one of our efforts is to complete the delimitation exercise as soon as it is possible. So, in order to expedite the delimitation exercise an Ordinance was necessary. Otherwise, we had the Constitution amendment, we had the Delimitation Commission, but in the absence of this amendment, that is, amending 1991 to 2001 in this Act, the Delimitation Commission was not able to proceed with this exercise and its activities. Therefore, to give effect to that, this Ordinance was necessary and that is the necessity of bringing this Ordinance in the inter-Session period.

I, therefore, commend to this House that this Bill be approved by this House.

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Mr. Chairman Sir, only last year I was talking on this amendment Bill, that is, Delimitation (Amendment) Bill, 2002.

The State of Nagaland had a lot of problems after the cut off Census year as 1991 because when the Election Commission tried to carry out an exercise to find out the size of the Assembly segments, there were lot of protests because Nagaland State is a very sensitive State. It has got a variety of tribals and there are different languages spoken. People do not want to go from one polling station to another polling station where another tribal is staying and another language is spoken. Thereby, they protested vehemently and the complete State machinery was brought to a standstill. So, having this kind of problem, this Act, which has been brought in, was very essential.

I would like to say here that in Nagaland, there are 17 tribes with more than 25 languages spoken. Keeping in view, in a small State like that, if we do not take care of the sentiments of the people, there could be a lot of problems, problem within the community, problem within the districts and the matter will go on unresolved, thereby, it will be very difficult for any one to survive peacefully.

When this State was created in 1961, it had a population of 3.5 lakhs and today we have a population of two million. The Nagaland State had only three districts at that time and today in 2003, it has 11 districts. Looking at that, the Nagaland State actually requires more Assembly constituencies, which was formed in 1961 having only 60 Assembly segments. Today, the Nagaland Assembly has also recommended that these 60 Assembly segments should be increased to 80 Assembly segments. That is one aspect.

With a population of two million and the rugged mountainous terrain, it is very difficult for a single legislator of the State to cover up because to go from one end to another takes days together.

The distance may be one kilometre but if you go by road, by the time you meander around those mountains, it goes to about 20-30 kilometres and it is also very very narrow roads. It becomes very difficult for a single Member of Parliament to cover it. So, I would like to suggest that in the near future the number of the assembly constituencies should be increased from 60 to 80 and from one Parliament seat to two Parliament seats.

Now, having a tribal population of a little over 85 per cent, today the Nagaland Parliamentary seat is kept as an open seat which is very amazing because tomorrow somebody can just walk in and say that he can buy of the whole State and get himself elected. But to give protection to the tribal population of that State I think the Nagaland State should be made into a Scheduled Tribe reserved seat. If you look at it, today nobody even has brought this issue to the House. So, I would like to reiterate that Nagaland Parliamentary Constituency seat be taken as a Scheduled Tribe reserved seat. The previous associate Members have also represented to the Delimitation Commission, the State Government also has passed the memorandum and has put up to the Election Commission for recognising the state of Nagaland Parliamentary seat as a Tribal reserved seat.

Then, there are other aspects where we need to look into. Those districts which have been newly created do not have sufficient assembly segments. On 15th of August, three more districts have been created in the State of Nagaland. In each one district, there is only one assembly seat having population of more than one lakh. So, in a tribal belt like this, I think we need to look into it very carefully.. Going by the number of population that has increased from 1961 till date, it is a tremendous increase, from 3.5 lakh to 2 million population till date. So, I would like to put across the difficulties and problems of a small State like Nagaland where many different tribes are there, where so many languages are spoken. Not only that the different tribes who are living in different places are divided by the rivulets or streams or by mountains. So, keeping in view of these factors, if we go directly by the Delimitation

Commission's guideline, we will never be able to achieve what we intend to do in a place like Nagaland. Therefore, the Governor should be given full power to looking into the sentiments of the people. The Commission should not go strictly by the number of population, that is by 2001 census of the population divided by the number of assembly constituencies. It should be adjusted according to the people's sentiments and where they can be adjusted within their own community and the language spoken in that particular place.

With these few words I would like to support the amendment of Part II of the Explanation of the Section 3 of the Delimitation (Amendment) Bill, 2002 and support this Delimitation (Amendment) Bill, 2003. With these few words, I would like to end here.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने यहां विचारार्थ प्रस्तुत किया है, जिसके लिए पहले ही अध्यादेश जारी हो चुका है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि यह संशोधन विधेयक बीच में न आता तो जस्टिस कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में गठित जो परिसीमन आयोग है, वह इस लोक सभा के चुनाव से पूर्व अपना काम पूर्ण कर लेता।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा ताकि परिसीमन आयोग अपना काम करता रहे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जहां पहले 1991 की जनगणना को ही आधार लिया गया था वहां अब 2001 की जनगणना को आधार लिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन मुझे एक शंका है कि क्या यह वर्तमान आयोग, जहां अब लोक सभा की अवधि लगभग एक साल शेा है, अपना काम पूरा कर पाएगा अथवा नहीं क्योंकि जहां तक फिगर्स का संबंध है, फिगर्स उपलब्ध हो गई और उसी के आधार पर एक बैठक भी आयोग ने की। लेकिन उसकी ऑथैंटीकेशन अभी तक हो पाई है या नहीं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह जरूर करूंगा कि कम से कम अपने कार्यकाल में ही यह कमीशन इसको अंतिम रूप दे सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए।

एक बात और कहना चाहूंगा। अभी नागालैंड के माननीय सदस्य ने अपनी एक समस्या यहां रखी। मैं एक ऐसे प्रान्त से आता हूं जिसका कुल क्षेत्रफल 55,000 स्कवायर किलोमीटर है और तीन जनजातीय क्षेत्र भी उसमें आते हैं जिनका मैं प्रतिनिधि हूं। 17 असैम्बली सैगमैंट्स पर एक संसदीय क्षेत्र है। अकेले मंडी संसदीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 32,000 स्कवायर किलोमीटर है। 23,000 स्कवायर किलोमीटर से तो तीन सांसद चुनकर जाते हैं और 32,000 स्कवायर किलोमीटर से केवल एक सांसद चुनकर जाता है। वर्तमान में मतदाता की आशाएं, आकांक्षाएं, उनकी हमारे प्रति जो आशाएं हैं कि जनप्रतिनिधि हर गांव में पहुंचे, यह वहां जैसे क्षेत्रफल में कभी भी संभव नहीं होगा, जैसा इन्होंने कहा। जहां तक जनजाति का संबंध है, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो नौ मास तक देश के बाकी भागों से कट जाते हैं विशेाकर लाहौल स्पीति का क्षेत्र। रोहतांग दर्रा जब बंद हो जाता है तब प्रदेश में भी उनको आना-जाना मुश्किल हो जाता है, हैलीकॉप्टर की व्यवस्था से वे अपने क्षेत्र से बाहर आते हैं। ऑफिशियली 15 अक्टूबर से 15 जून तक वे देश के बाकी भागों से कट जाते हैं। इसलिए राइटली उनके लिए अभी भी जो लेटैस्ट 2001 का सैन्सस है, उसके मुताबिक भी उनकी जनसंख्या सिर्फ 32,224 है और राइटली वह अलग जनजातीय क्षेत्र का चुनाव क्षेत्र है। उसके एक तरफ कुंजुम पास है। यह मेरा जनजातीय क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है कि किन्नौर जिला और स्पीति के एरिया के साथ चीन का बार्डर है और भरमौर के साथ जो है, वह पाकिस्तान का बार्डर है अर्थात इंटरनैशनल बार्डर भी है और नैशनल बार्डर भी है। इस प्रकार के बार्डर हमारे यहां लगे हुए हैं और ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र है। इन्होंने बिल्कुल उचित कहा। यह सोचना चाहिए कि क्या केवल जनगणना ही आधार है। टोपोग्राफी या कंटिग्युटी नहीं देखी जाएगी तो एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से किस प्रकार न्याय कर सकेगा। ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं कि अगर मुझे भरमौर जाना हो तो नौ महीने तक भी कोई रास्ता नहीं रहता। अगर पैदल जाना हो तो बीच में कुगती पास आता है। 400 किलोमीटर ऐसा डैड डिस्टैंस है जो कांगड़ा पार्लियामैंट्री सीट को धट्टा से लेकर चक्की बैंक तक मुझे खड़ा मुख तक जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र का कोई भी गांव नहीं है और यह 700 किलोमीटर मुझे डैड डिस्टैंस ट्रैवल करना पड़ता है। अगर किन्नौर जाना हो तो रामपुर तक जितना एरिया आता है, उसमें हमीरपुर क्षेत्र और शिमला क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है, तब जाकर किन्नौर पहुंचते हैं। यह मेरी मांग रहेगी, इन्होंने बिल्कुल उचित कहा कि जहां जनजातीय क्षेत्र का संबंध है, उनके लिए अलग प्रतिनिधि का भी प्रावधान होना चाहिए। उनकी जनसंख्या दो लाख से कम नहीं है। यहां जो टैनटेटिव फिगर आए हैं, उसके मुताबिक एक लाख, 77 हजार मतदाता हैं जो सारे जनजातीय हैं। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि केवल वहां की जनसंख्या ही आधार न हो, कंटिग्युटी और टोपोग्राफी भी होनी चाहिए। उनके लिए या तो सैपरेट कंस्टीटूएंसी होनी चाहिए नहीं तो भरमौर क्योंकि चंबा जिला का पार्ट है, वह तो कांगड़ा के नजदीक पड़ता है न कि मंडी पार्लियामैंट्री सीट में पड़ता है। उसे कांगड़ा में होना चाहिए। इसी प्रकार जहां तक रामपुर क्षेत्र है, वह शिमला जिला का पार्ट है लेकिन उसे बराबर करने के लिए फिर भी मंडी में डाला गया है।

अब जो हिमाचल की जनसंख्या थी,वह 1991 के आधार पर 12,92,719 पर पार्लियामेंट्री सीट रखी गई है लेकिन लेटेस्ट 2001 की जनगणना के मुताबिक जो 15,19312 वोट हैं, वे एक-एक संसदीय क्षेत्र में हो जाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि या तो एक अलग से जनजातीय क्षेत्र दिया जाना चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अपना प्रतिनिधि भेजने का एक अवसर मिले। भले ही उनकी आबादी कम है लेकिन अगर पूर्वोत्तर में लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख वोटों पर एक सांसद चुना जाता है तो हिमाचल भी एक सीमावर्ती एरिया है, वहां दो लाख की जनसंख्या पर अलग से एक सांसद क्यों नहीं हो सकता? मेरा यह भी कहना है कि कंटिंगुइटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और हमारी समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। संसार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जैसे कि मेरा पांगी भरमौर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो हैड-क्वार्टर चम्बा है और पांगी के लोगों को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर जाने के लिए 900 कि.मी. का फासला तय करना होता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें 900 कि.मी. चलकर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता हो। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए। यहां मैंने ये जो बातें रखी हैं तो क्या आपका आयोग अपने कार्यकाल में इस काम को पूरा कर पाएगा? क्या आने वाली लोक सभा में यह डी-लिमिटेशन लागू होगा ? इस पर उत्तर आ जाए तो अच्छा होगा और जो बातें मैंने यहां रखीं, उनका ध्यान रखना होगा।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, भरमौर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र है और वहां पर जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए गैर-जनजातीय क्षेत्र भी बीच में डाला गया है, जैसा मैंने पहले कहा कि लाहौलस्पीति का क्षेत्र जहां की जनसंख्या 33224 है, वह एक अलग क्षेत्र हो सकता है तो फिर भरमौर जनजातीय क्षेत्र में गैर-जनजातीय लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी मांग है कि या तो हमें भी जनजातीय सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर जनजातीय क्षेत्र में हमें रखना है अथवा जनजातीय क्षेत्र से हमें अलग कर देना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I support the Bill in principle, but I am opposed to the way in

which it was brought here.

17.18 hrs. (Mr. Speaker *in the Chair*)

When I opposed the Representation of the People (Second Amendment) Bill, I had stated some reasons for opposing it. The same reasons are applicable in the instant case also. So, I do not repeat the arguments which were advanced during the previous Bill.

Here, the main question I would like to discuss is about the urgency. Was it urgent for the Government to issue an Ordinance in the instant case? In the Statement of Objects and Reasons, under rule 71 sub-clause one of Rules of Procedure, the hon. Minister has stated that as the final report of the census for the year 2001 was likely to be published before the Winter Session of Parliament and in consonance with the above general consensus, the delimitation Ordinance was issued. So, at the time when this Ordinance was issued, there was no final report of the census for 2001. Then what is the urgency? It is because the Commission will have to act only when there is a Census Report for 2001.

At the time when this Ordinance was issued, no report was available. The report would be available only during the Winter Session of Parliament. Then, why did the Government not wait for bringing a Bill in the House? It is an admitted fact that the Delimitation Commission can function only on the basis of the Census report for 2001. That has been expressed during the discussion in the House on the Delimitation Act. We also definitely were of the opinion that the delimitation should be on the basis of 2001 Census report. But that Census report was not available at the time when the Ordinance was issued. It is crystal clear that it would be available only during the Winter Session. Then, what was the necessity of bypassing the Legislature? They could have waited till the publication of the report. Without the report, the Delimitation Commission cannot function. They were doing their job on the basis of 1991 Census report. We found that it is unjust to have the delimitation on the basis of 1991 Census report. Parliament was also of that opinion. We were also insisting that the 2001 report should be the basis. When that data is not available, I do not understand the logic behind issuing an Ordinance. What was the urgency when that was the position?

As I said, the Delimitation Commission cannot function without 2001 report. The persons who are nominated by the Government cannot function. They can function only when the report of 2001 Census is made available. That is not available even now. The Government has taken a stand to bypass the Legislature. Why should it do so? After all, it is not a disputable fact. The entire House is with the Government in passing this legislation because it was the House which opined that the 2001 Census should be the basis. On that basis it would have been much more fair and just for the Government to wait and bring in the legislation in the normal course and get it passed because the House is in their favour. I do not understand the logic. That is why, I oppose the way in which the Bill is introduced.

Regarding the contents of the Bill, I would like to make some suggestions. When the Delimitation Act was passed, we had a thorough discussion about the population growth. The Government of India have consistently implemented the policy of family planning. But the family planning process was effectively implemented only in the Southern States. The States of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka have implemented it. In Bihar and in the Northern States, the population grew. The growth of population has become unlimited. There was unlimited growth of population in the Northern States. We have discussed on this issue. If the delimitation is to be on the basis of population, the Southern States will lose the number of seats represented in the Lok Sabha. Thirty to forty seats would be lost by the Southern States because they have implemented the decision of the Government of India regarding family planning. But the Northern States did not do it. Bihar and other States were very particular of increasing the population. The net result is that the seats which are likely to be lost by the Southern States will go to the Northern States. ...(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: But that is not happening now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): It did not happen because we have decided not to change it till 2025.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, that is not correct.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : मान्यवर, यह जो तर्क दे रहे हैं, यह सत्य नहीं है। इन्होंने शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाया, जिसकी वजह से इन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। उत्तर भारत के राज्य शिक्षा से वंचित रहे हैं। उनको कम धन आबंटित हुआ, जिसकी वजह से वे पिछड़ गए और आबादी बढ़ी। जो बुनियादी समस्या है, उसका समाधान करने की बात करें।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It is because we have taken a decision. ...(*Interruptions*) Let me complete my

point.

Now, we have taken a decision not to change the number of seats in each and every State till 2025. Why is it so? That decision was taken simply for the reason that the Southern States that would have implemented the family planning programme would lose the number of States. Now the number of seats in the States as well as in the Lok Sabha will remain as it is.

If it is decided on the basis of population, then Southern States will lose. It is admitted. Maharashtra will lose; Karnataka will lose; Kerala will lose; Tamil Nadu will lose; Andhra Pradesh will lose; and Pondicherry will lose because the growth of population is low in these States. The population is the criterion for deciding the number of seats. If that be the case, this will be the result. That is why, they have taken a decision not to change it till 2025. ...(*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, it is not correct. ...(*Interruptions*)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I remember that I had taken part in that decision. I had brought this point. It was unanimously decided not to change the number of Assembly seats as well as Lok Sabha seats till the year 2025.

SHRI ARUN JAITLEY: It has been accepted by all. Why are you creating a divide? ...(*Interruptions*)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): It was decided in the all-party meeting. ...(*Interruptions*)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : In the House also, we have decided that that Delimitation Act will be applicable till the year 2025. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Palanimanickam, do not disturb him.

Please conclude now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, there is another difficulty. When the Delimitation Commission takes up delimitation of Assembly seats, the same question will arise because the family planning process is not evenly implemented in the districts. In my State, there are certain districts where there is growth of population and there are other Southern States where there is decrease in population. So, the number of seats will change. That will create a very difficult situation. The Delimitation Commission should take abundant caution to see that changes do not take place in the number of seats district-wise also. Of course, the reservation in seats and all that will have to be changed, but in the process of delimitation, the principle that was nationally adopted, should be made applicable district-wise also when delimitation is taken up for Assembly seats.

I think, the Commission will have to bear it in mind. Otherwise, there will be tension, there will be trouble in the State and also among the political parties. There will be tension among the communities also. Even communal tension can prevail if this process is adopted without an intelligent approach, without a cautious approach, if I may put it.

So, I would request the hon. Minister to give direction to the Commission or to express an opinion that such a thing should never take place in the process of delimitation of Assembly constituencies.

With these words, I conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, यह जो परिसीमन (संशोधन) विधेयक आया है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह जब आया था उस समय हम लोगों ने सरकार को बार-बार सावधान किया था कि जो विधेयक उस समय था कि सन् 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और इस बात के साथ होगा कि सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित-जनजाति की सीटों का पुनर्निर्धारण हो सकेगा। इन शर्तों के साथ संविधान-संशोधन होगा। सभी लोगों ने मान लिया कि 2025 तक सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन उस समय में सरकार ने माना नहीं। हम लोगों ने कहा कि यह सं वैधानिक प्रावधान है कि परिसीमन हर जनगणना के बाद हो, और यही ट्यून भी है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होगा। सन् 2002 के बाद में परिसीमन का विधेयक लाये थे जो सन् 1991 की जनगणना के आधार पर था जिस पर हमने कहा था कि यह हास्यास्पद है।

2001 के बाद परिसामन अधिनियम, 2002, में संशोधन करने वाला विधेयक लाये हैं और उसमें 1991 का गीत गा रहे हैं। वां 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया और उसने अपना काम करना शुरु कर दिया। अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें महसूस किया गया कि यह आधार 2001 की जनगणना पर होना चाहिये लेकिन कहा गया कि अभी 2001 की जनसंख्या का पब्लिकेशन नहीं हुआ है, उसके डॉटा के बगैर काम कैसे होगा? इस प्रकार की जानकारी हम लोगों को दी गई और बाद में यह कहा गया कि डॉटा अक्तूबर-नवम्बर तक बन जायेगा लेकिन अभी तक की सूचना के अनुसार डॉटा पब्लिश

नहीं हुआ है। जब डॉटा नहीं बना तो किस आधार पर परिसीमन आयोग अपना काम कर पायेगा। उसे काम करने के लिये 2 वर्ा लग जायेंगे। इस तरह से वर्ा 2004 में होने वाले लोक सभा के चुनाव किस आधार पर किये जायेंगे? सरकार को स्पट कर देना चाहिये। क्या सरकार यह समझती है कि पुराने आधार पर वोटिंग होगी? इस तरह परिसीमन का काम 2004 से थोड़ा और आगे बढ़ जायेगा। बाद के चुनाव उस आधार पर हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस में सब से खतरनाक बात यह होगी कि जैसा विधेयक के उद्देश्यों में लिखा गया है कि 87वें संविधान संशोधन के जरिये निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं, पुन: समायोजन के लिये अधिनियमित किये गये थे। इसका मतलब यह है कि 1991 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाया गया है। महाराट्र में 3-4 सीटों की वृद्धि होने का अनुमान था और अन्य किसी राज्य में एक या दो सीटों की वृद्धि होने की संभावना थी लेकिन सरकार ने ऐसा उपाय कर दिया कि हम लोग 2001 वाले संशोधन को कर रहे हैं लेकिन 2004 में होने वाले चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर होंगे। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि होने वाली थी, वह नहीं होगी। यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी सरकार है। इससे उन लोगों में भारी क्षोभ है। श्री वरकला राधाकृणनन् ने भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हुआ है और केरल में बहुत से लोगों का माइग्रेशन हो गया है, उनकी पापुलेशन कागजों पर नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार उनकी जनसंख्या घट रही है। कहीं उन्हें कुछ सीटों का घाटा न हो। उसमें जनरल सीटों की कमी हो सकती है और हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि न होने से चिन्तित हैं। सरकार ने इस प्रकार का काम करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया है। यदि कमीशन 1971 के आधार पर कार्य करेगा तो उससे और सीटों के कम होने की संभावना है। सरकार स्पट करे कि 2004 में होने वाले लोक सभा के चुनावों को किस आधार पर लिया जायेगा। इस पर यह परिसीमन लागू नहीं हो पायेगा, कारण चाहे जो हो लेकिन यह कब तक हो जायेगा।

SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker, Sir.

As I understand, the purpose of the Bill is two-fold, namely, (1) to readjust the division of territorial constituencies of seats without increasing or decreasing the total number of the Legislative Assembly constituencies based on the 2001 census instead of 1991 census as stated earlier, and (2) to include Governor's nominee, in case there is no State Election Commissioner, as one of the members of the Delimitation Committee.

It is high time we take into account the 2001 census instead of the 1991 census. I can appreciate the background with which this Bill is brought forward. The Chairman of the Delimitation Commission himself had written to the Government that an amendment is needed. All the political parties wanted to go with the 2001 census. In that situation, the Government is right in bringing this amendment to take into account the 2001 census. I would like to raise a few points. The hon. Minister may kindly reply to those points while replying to the debate.

I would like to know the criterion adopted by the Delimitation Commission. Do they follow different yardsticks in different places or are they following a uniform yardstick everywhere? Are they doing it based on population, the geographical features, or other constraints and compulsions? What is the criterion the Government have fixed for them to go ahead?

Secondly, as rightly pointed out by many of the Members, the census figures are not available till today. I would like to know the timeframe within which the Government wants to adopt the figures of 2001 census, and the time within which the whole delimitation process will be completed. I need a specific answer from the Minister as to whether there can be a timeframe for obtaining the 2001 census and completing the whole process of delimitation.

I was told that the Delimitation Commission was eliciting views from various quarters, including the political executives and the politicians, based on the 1991 census. But the complaint was that hearing was not given and even if given the opportunity was not adequate. Now, they have to redo the whole process based on 2001 census. I would like to know whether they would go through the whole process *de novo* or afresh. I need a specific answer to this point.

When you readjust the assembly constituencies, you can carve out a portion of a particular constituency and annex it with the adjoining constituency. That is workable. If the two constituencies are equal in all respects, you can neither add nor subtract from any of the two constituencies. In another a situation, can you carve out an excess portion from one constituency and annex it to a far off constituency by passsing one or more constituency ? Can you bypass? Can you overlap? The Delimitation Commission itself is not very clear on that. How do you go about it?

Finally, I would like to make a suggestion to the Minister, if it is practicable to keep an Assembly constituency intact taking into account the revenue District as a unit. We have seen in many cases in which one assembly constituency, comes under two or three Districts. Can we afford to devise some method to ensure that an Assembly constituency comes under only one District? Can the District be taken as one unit? Is it practicable?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं समझता हूं कि सदन को और सरकार को इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। यह मामला कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है।राम विलास पासवान रिज़र्व्ड कांस्टीट्यूएंसी में रहे या नहीं रहे, हमारी सीट रिज़र्व हो जाए या डीरिज़र्व हो जाए, वह अलग बात है लेकिन यह पूरे दलित और आदिवासी समुदाय का मामला है। पूरे देश में इस पर रिसैन्टमैंट है और अगले महीने से इस पर आंदोलन भी शुरू होने जा रहा है। चूंकि 1971, 1991 और 2001 की तीन तिथियां इसमें हैं, यदि 2001 के मुताबिक होता है तो कम से कम लोक सभा की 18 से 20 सीटें बढ़ जाएंगी और विधान सभा की 60 सीटें पूरे देश में बढ़ जाएंगी। सबसे ज्यादा सीटें बढ़ेंगी महाराट्र में अनुसूचित जातियों की। यह इसलिए नहीं बढ़ेंगी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उनके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि नई नई जातियां उसमें सम्मिलित की गई हैं। नौ बुद्धों को पहले आरक्षण नहीं था। 1990 में जब मैं मंत्री था, उस समय उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया और अकेले उससे ही छः-सात प्रतिशत महाराट्र में जनसंख्या बढ़ गई। इसी तरीक से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सब जगह है।

महोदय, पहले हर दस साल बाद डीलिमिटेशन होता था। 1971 के बाद उसको फ्रीज कर दिया गया कि 2000 तक डीलिमिटेशन नहीं होगा, जितनी संख्या है, उतनी रहेगी। सन् 2000 के बाद जब सरकार बनी, उसके बाद यह मामला आया और हमें याद है कि 12 जुलाई को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 17 दिसम्बर को परिसीमन आयोग के चेयरमैन कुलदीप सिंह जी ने पत्र लिखा और भारत सरकार से मांग की कि इसको 2001 के आधार पर करें और उसके लिए जल्दी से जल्दी हमें सैन्सस रिपोर्ट दी जाए। इसमें तीन फैक्टर हैं। एक आर.जी.आई. है, एक इलैक्शन कमीशन है और तीसरा परिसीमन आयोग है। उस समय आप मंत्री नहीं थे, जन कृणमूर्ति जी थे। 24 जनवरी को उन्होंने पत्र लिखा कि 2001 के आधार पर संभव नहीं है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1991 के आधार पर करेंगे। उसके बाद 13 मार्च को कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने बैठक बुलाई। उसमें मैं मौजूद था। मैंने मुद्दा उठाया कि 1991 के आधार पर क्यों करने जा रहे हैं, जबकि 2004 में चुनाव होगा और 2003 में हम बैठे हैं। इन्होंने कहा कि राम विलास जी, आप चाहते हैं कि इसमें वृद्धि हो या नहीं? इन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात यह है कि सैन्सस रिपोर्ट अक्तूबर-नवंबर 2003 के पहले आने वाली नहीं है और सैन्सस रिपोर्ट आने के बाद साल भर या दो साल तक समय चाहिए। इसलिए यदि 2001 के आधार पर करेंगे तो न 2001 हो पाएगा और नतीजा यह होगा कि 1971 के आधार पर होगा। इसलिए 1991 के आधार पर प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, इसको होने दीजिए। हम शांत हो गए और कहा कि ठिक है।

उसके बाद एकाएक निर्णय लिया गया कि 1991 के आधार पर नहीं, 2001 के आधार पर की जाए। आपको याद है कि मैंने उस समय भी यहां सदन में विरोध किया था और तब मंत्री जी ने कहा कि नई टैक्नोलॉजी आई है, सितम्बर तक रिपोर्ट आ जाएगी। दो-तीन महीने में सारा काम हो जाएगा। मैंने उस समय कहा कि मेरी बात आर.जी.आई. से हुई है। वे कहते हैं कि उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हर जगह से जबर्दस्ती सैन्सस रिपोर्ट लाएं। इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन सरकार बार-बार कहती रही कि 2001 तक हो जाएगा। आज दिसम्बर 2003 में हम बैठे हैं। अभी तक सैन्सस रिपोर्ट ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है। इस स्थिति में आप कानून में संशोधन करने जा रहे हैं कि 1991 के आधार पर नहीं, 2001 के आधार पर करो। हम आपसे सहमत हैं लेकिन यदि लोक सभा का अगला चुनाव 2001 के आधार पर नहीं होता है, तो अंततोगत्वा वह 1971 के आधार पर ही जाएगा। जबकि पिछले तीस सालों में आलरेडी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वे पहले ही सफर करते आ रहे हैं और आप जान-बूझकर उनको सफर करवाना चाहते हैं और प्रियरंजन दासमुंशी जी बुरा न मानें, जब सरकार से बात होती है तो कहते हैं कि सब कुछ हमने अपोज़ीशन पार्टी और आपके तालमेल से किया है। यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पार्लियामैंट में ही आपके सामने बैठेंगे, दूसरी जगह कहां जाएंगे बैठने के लिए?

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए सरकार इस बात को साफ करे। हम चुप इसलिए हैं कि सरकार र्वा 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है। अगर ऐसा होता है, तो यह सोने पर सुहागा वाली कहावत होगी, लेकिन अगर र्वा 2001 भी न हो और र्वा 1991 भी न हो और अन्त में जाकर बात 1971 के आधार पर चुनाव कराने की बात चली जाए, तो यह ठीक नहीं होगा।

महोदय, दलित सांसदों को कहा जा रहा है कि तुम्हारी सीट डी-रिजर्व हो जाएगी। कानून में जो प्रावधान है, उसके अनुसार जहां सबसे अधिक संख्या इन वर्गों की है, वही सीट रिजर्व होगी, उसे कोई बदल नहीं सकता है, यानी जो पुरानी रिजर्व सीटें हैं, वहीं रिजर्व रहेंगी। यदि मान भी लिया जाए कि वर्तमान रिजर्व सीटें डी-रिजर्व हो जाएंगी, तो किसी ने कोई परमानेंट ठेका नहीं लिया है कि वह वहीं से खड़ा होगा। मैं हाजीपुर से नहीं, कहीं और से भी खड़ा हो सकता हूं। कोई यह हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूं। दूसरे भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए। सासाराम बाबू जगजीवन राम जी का क्षेत्र है। वहां से हमेशा रिजर्व कैंडीडेट ही चुनाव लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए।

महोदय, असली बात यह है कि रिजर्व सीट की समस्या नहीं है कि दलित सांसद की सीट डी-रिजर्व हो जाएगी, यह समस्या नहीं है बल्कि असली समस्या यह है कि जो डी-रिजर्व सीटें हैं, वे रिजर्व हो जाएंगी। जो डी-रिजर्व सीटों से खड़े होने वाले कैंडीडेट हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, उन्हें डर है और उन्हें दर्द हो रहा है कि कहीं उनकी सीट रिजर्व न हो जाए। जब रिजर्व सीट, डी-रिजर्व होगी, तो डी-रिजर्व सीट रिजर्व होगी। जो डी-रिजर्व सीटों पर खड़े होने वाले बड़े-बड़े नेता हैं, उन्हें चिन्ता और डर है कि कहीं उनकी सीट रिजर्व न हो जाए और यदि ऐसा होगा, तो वे उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उन्हें सिर्फ इसी बात की चिन्ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि सरकार को आज स्पट बताना होगा कि वह इस वािय में क्या करने वाली है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने उत्तर में स्पट करें क्योंकि यह केवल एक संगठन का सवाल नहीं है। एक इलैक्शन कमीशन है, दूसरा परिसीमन आयोग है और तीसरा आर.जी.आई. है और इन तीनों में कोई को-आर्डीनेशन नहीं है। को-आर्डीनेशन सरकार कर रही है। इसलिए सरकार इस सदन को बताए कि 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने जा रहा है या नहीं और यदि 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने नहीं जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि मंत्री महोदय बिल पास करा लें और बाद में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन न हो, तो वे कह दें कि मैं तो सब कुछ चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो हैल्पलैस हूं। अगर ऐसा होगा, तो वह दिन भारत के लिए सबसे काला दिन होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरुण जेटली जी से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि वे बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, उन्हें सभी बातों की जानकारी है। वे सही को गलत और गलत को सही, कैसे किया जाता है, इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें यह सारी क्षमता है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब वे अपना जवाब दें, तो सीधे शब्दों में बताएं। मैं इस संबंध में तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा।

महोदय, कुलदीप सिंह जी की इंटीग्रिटी पर हमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बार-बार कहा और स्पट कहा कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें नोटीफिकेशन के बाद सिर्फ छः महीने का समय दे दीजिए। यदि छः महीने का समय मिल जाए, तो हम इसे कर के दिखा देंगे। जब भी चुनाव हों, मार्च, अप्रैल, मई या जून में, तो वे 2001 की जनसंख्या के आधार पर हों, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है। इसलिए मेरा निवेदन है और सरकार पर चार्ज है, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ काम कर रही है क्योंकि ये 2001 की बात कहकर और कानून पास कराकर चुनाव 1971 के आधार पर कराना चाहते हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूं। मैं इस बिल का जिसके आधार पर 2001 की जनसंख्या के अनुसार परिसीमन कराने की बात कही गई है, इसका समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार की जो मंशा है 1971 के आधार पर चुनाव कराने की, उसकी मैं आलोचना करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इस वािय में आपने अमेंडमेंट क्यों नहीं दी ?

श्री राम विलास पासवान : सर, आपके सामने जो बिल है, वह उससे संबंधित तो है ही नहीं। हम इस मामले को सदन में नियम 184 अथवा किसी अन्य रूप में उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो सकता है, लेकिन एक रास्ता आपके सामने यह था कि आप इसमें अमेंडमेंट देते।

श्री राम विलास पासवान : सर, यदि अमेंडमेंट दिया होता, तो भी उतना ही बोलते, जितना अब बोला है। हमारे यहां एक कहावत है - " चोर के सामने ताला क्या और बेईमान के सामने कबाला क्या "

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ) : सर, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि ये जो मांग रहे हैं, वही इस बिल में कहा गया है।

श्री राम विलास पासवान : सर, हमारी मांग तो यही है कि 2001 के आधार पर परिसीमन किया जाए और यह विधेयक इसी बात को लेकर है कि परिसीमन र्वा 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी, He could say that this should be passed with a condition that reservation, as per population, should be given by following due process.

श्री पवन कुमार बंसल : सर, आपकी बात सरकार को मान लेनी चाहिए। सर हम प्रपोज करेंगे कि सरकार आपकी बात माने।

श्री राम विलास पासवान : हमने वकीलों से पूछा था, उन्होंने कहा कि यह सफिशिएंट है इसमें अमेंडमेंट आ ही नहीं सकती, अमेंडमेंट 2001 के आधार पर देंगे।â€¦ (व्यवधान)अरूण जी कह रहे हैं कि 2001 के आधार पर करेंगे।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरूण जी के बारे में बोलते समय आपने बताया कि वकील कैसे होते हैं।

श्री राम विलास पासवान : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : हर वकील वैसा ही होता है।

â€¦ (व्यवधान)

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Sir, I had actually left out one point. The Nagaland Government and we, the associated members, had represented last time to the Delimitation Commission and the Government of India that if the Delimitation Commission continues to keep this guideline of population divided by the number of population, it will be a big headache for the State of Nagaland. So, if the Commission continues to do that, I am afraid that there will be a lot of commotion, trouble, and the associated members may be failing in their duty. I am afraid that it may also compel the associate members to withdraw from the associated membership of the Commission.

17.52 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : महोदय, सरकार परिसीमन संशोधन विधेयक, 2003 लेकर आज सदन में आई है। यह विधेयक सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है। जब हमने सदन में परिसीमन अधिनियम 2002 पारित किया था तो उस समय ही यदि विपक्ष के सदस्यों के सुझावों को सरकार ने समय रहते स्वीकार कर लिया होता तो आज जिन आशंकाओं की तरफ पासवान जी ने अंगुली उठाई है, वे आशंकाएं भी न होतीं और हम समय से परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करके 2004 के लोक सभा के चुनाव 2001 की जनसंख्या के आधार पर कराने में निश्चित तौर पर सक्षम होते। मैं पासवान जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं, सरकार की नीयत में खोट है और उसी का यह परिणाम है कि आज से लगभग नौ महीने पहले, जब सर्वदलीय बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई तो उस समय सरकार ने जो उस बैठक में आश्वासन दिए थे, उन्हें कतई पूरा नहीं किया और आज यह परिसीमन संशोधन विधेयक, 2003 लेकर सरकार आई है।

महोदय, इसमें प्रमुख तौर पर जनसंख्या वृद्धि की बात भी उभर कर आई है, जिसकी हमारे साथियों ने चर्चा की। जनसंख्या वृद्धि के मूल कारणों में मैं समझता हूं कि शिक्षा एक प्रमुख कारण है। अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो 56 र्वा की आजादी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन्नयन के लिए हमें जो अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए था, वह नहीं किया, निश्चित तौर पर उन्हें उपेक्षित किया जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। इसलिए अगर आप जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं तो समाज के सभी वर्गों की शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। 56 र्वाों की आजादी के बाद भी यदि हम सब को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी।â€¦ (व्यवधान)आपकी नयी सरकार आई है, उसके भी आंकड़े आ जाने चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, वह वास्तविक तस्वीर को रखती है। वह रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार नहीं की गई है।

महोदय, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति साफ है तो सरकार को आज यह आश्वासन देना चाहिए, खास कर विधि मंत्री जी को स्पट तौर पर आश्वासन देना चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, यह अनपढ़ लोगों पर आक्षेप है।

*(Interruptions) â€¦**

एक-एक दर्जन, नौ-नौ कर रहे हैं। इसका पढ़े-लिखे लोगों से क्या संबंध है?â€¦ (व्यवधान)

---

* Not Recorded

कुंवर अखिलेश सिंह : इसमें वे कहां से आ गए। व्यक्तिगत तौर पर किसी भी सदस्य का नाम लेकर आपको आक्षेप नहीं करना चाहिए। वे इसी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, इसलिए आपको कम से कम इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए।â€¦ (व्यवधान)व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगने चाहिए।â€¦ (व्यवधान)आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने वस्तुस्थिति बताई है।â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बहुत विरोधी हैं।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : *(Interruptions) â€¦ **

सभापति महोदय : यह शब्द प्रोसिडिंग में नहीं जाएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी से यह स्पट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार सदन में यह आश्वासन दे कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार छ: महीने के अंदर 2001 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कार्य पूर्ण करके लोक सभा के चुनाव सम्पन्न कराएगी।

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो सीटों की बढ़ोतरी मिल रही है, उस बढ़ोतरी के अधिकार से उनको वंचित नहीं करेगी।

----

* Not Recorded

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, सरकार जो बिल लाई है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। जहां तक अरुण जेटली जी इस बिल को लाये हैं और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 2001 की पोपुलेशन के मुताबिक उनकी सीटों की बढ़ोतरी की जाये, इस तरह का यह जो बिल आप लाये हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह पासवान जी और अखिलेश जी ने शंका व्यक्त की है कि लोक सभा का चुनाव सितम्बर, 2004 में आने वाला है, लेकिन अभी तीन राज्यों में अच्छी सफलता आपको मिली है तो फरवरी, मार्च या अप्रैल में ये चुनाव आप कराने की घोाणा करते हैं तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर यह अन्याय हो जायेगा। इसलिए अरुण जेटली जी से हमें एश्योरेंस चाहिए कि जिस तरह से आप इस बिल को लाये हैं तो 2001 की सेंसस के मुताबिक कितनी सीटें बढ़नी चाहिए।

मेरी जानकारी के मुताबिक 118 लोक सभा की रिजर्व सीटें हैं, उनमें 24 सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक महाराट्र का सवाल है, महाराट्र में पासवान जी ने बताया कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को हिन्दू धर्म को छोड़कर जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, उसके बाद महाराट्र में दलित कम्युनिटी के लोगों का रिजर्वेशन कम हुआ था। महाराट्र में लोक सभा की 6 सीटें रिजर्व थीं, उनमें से तीन सीटें कम हो गई थीं। विधान सभा की 36 सीटें रिजर्व थीं, उनमें से 18 सीटें कम हुई थीं। अभी 1990 में न्यू बुद्धिस्ट को शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलने वाला पूरा रिजर्वेशन देने का कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, उसके बाद आटोमेटिकली सीटें बढ़ाने की आवश्यकता थी, उसमें डीलिमिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे सीटें नहीं बढ़ीं, इसलिए मंत्री महोदय से हमारी मांग है कि आपने एश्योरेंस दे दिया था कि महाराट्र में 18 विधान सभा की सीटें और तीन लोक सभा की सीटें तो बढ़नी ही चाहिए। हम 2001 की सेंसस का अगर ि वचार करें तो महाराट्र में और 6 सीटें विधान सभा की बढ़नी चाहिए और लोक सभा की एक शैड्यूल्ड कास्ट्स की और सीट बढ़नी चाहिए। महाराट्र विधान सभा की 23 शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें हैं, उनमें भी 6 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके साथ-साथ अभी महाराट्र में चार सीटें लोक सभा की एस.टी. की हैं, उनमें भी एक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसमें भी आपको बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।

हमारी यह भी एक मांग है कि जिस तरह लोक सभा और विधान सभा में रिजर्वेशन है, उसी तरह राज्य सभा और विधान परिाद में भी एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए नया बिल आपको लाना चाहिए। हाउस में हमें यह भी एश्योरेंस चाहिए कि राज्य सभा और विधान परिाद में भी एस.सी. एस.टी. को रिजर्वेशन दिया जायेगा।

इस बिल का हम समर्थन करते हैं, मगर आने वाले चुनाव के पहले ये सीटें बढ़नी चाहिए और जब तक सीटें नहीं बढ़ती हैं, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए, यह भी हमारी मांग है। इसके लिए भी अरुण जेटली जी से हमें एश्योरेंस चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, परिसीमन संशोधन विधेयक, 2003 का मैं मेरी तरफ से और शिवसेना पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं।

परिसीमन आयोग गठित हो गया है और परिसीमन आयोग का कार्य चल रहा है। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। मैं इस बिल पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मंत्री जी से एक बात का क्लैरीफिकेशन करना चाहता हूं कि आने वाला 2004 का जो लोक सभा का इलैक्शन है, आपने भी बात की कि लोक सभा का इलैक्शन सितम्बर, 2004 में आयेगा। इससे लोगों में कन्फ्यूजन है।

18.00 hrs.

जन प्रतिनिधियों और लोगों में कन्फ्यूजन है कि आने वाला लोक सभा का चुनाव परिसीमन आयोग के आधार पर होगा या वा 1991 के सेन्सस के आधार पर होगा। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : छः बज गये हैं। यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के पारित होने तक सदन की कार्यावधि बढ़ाई जाये।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अरुण जेटली : इसके साथ एक शब्द का विवाह विधि (संशोधन) विधेयक भी है। उसमें बहस की कोई जरूरत नहीं है। â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उसे आप कल पास करा लीजिए। â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मेरी समस्या यह है कि मुझे कल डब्ल्यू.टी.ओ. की बैठक में जाना है। यह विधेयक दो मिनट में हो जायेगा।

सभापति महोदय : इस पर सभा की सहमति है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : सभापति महोदय, मैं एक ही क्लेरीफिकेशन चाहता हूं कि आने वाला लोक सभा का चुनाव किस आधार पर होगा। वा 2001 का सेन्सस तो हो गया है लेकिन अभी तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी है। इससे यह तो क्लीयर है कि आने वाला लोक सभा का चुनाव वा 2001 के सेन्सस के मुताबिक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाला लोक सभा का चुनाव वा1991 के सेन्सस के मुताबिक होगा। लोगों में इसको लेकर कन्फ्यूजन है। â€¦ (व्य

वधान)1971 की सेन्सस के

अनुसार होगा तो यह और भी पीछे हो जायेगा। लोगों में इसी बात का कन्फ्यूजन है। मंत्री महोदय से क्लीयर कट मैसेज लोगों के बीच में जाना चाहिए कि आने वाला लोक सभा का चुनाव 2001 के सेन्सस के अनुसार होगा या 1991 और 1971 के सेन्सस के अनुसार होगा। मैं इतना ही आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, several important points have been raised. Let us first of all understand that this amendment is to fill up the vacuum which exists in the three North-Eastern States where there is no State Election Commission. So, a nominee of the Governor has to be introduced as the third member of the Delimitation Commission. The second part of the amendment is a consequential amendment where, in the Delimitation Act, 2002 it replaces the numerical 1991 by 2001. This consequential constitutional amendment has already been passed by both the Houses of Parliament. Therefore, all these questions that are being raised today are not new questions. The basic question had to be raised when the House passed this constitutional amendment. This is a consequential amendment. Now, if you do not approve this, the effect would be that the Constitution says, "Do delimitation on 2001 census". But the Parliament will say, "No, do it on 1991 census." Parliament cannot create such an incongruous situation. And therefore, acting in harmony, the consequential amendment has to be passed.

Secondly, we may understand that what is it that necessitated the change of date from 1991 to 2001. The Government earlier was very clear, even when suggestions were made with regard to 2001, when this Bill was initially passed, when the first constitutional amendment was passed, that we will endeavour to complete the delimitation exercise as quickly as possible and implement it. I have not the least hesitation in saying it. Shri Ram Vilas Paswan has said it on the last occasion also. We had an all-party meeting where several views were expressed and after that, if not unanimity, there was a very large consensus that the date must be changed from 1991 to 2001. Let me say that it was an overwhelming consensus.

श्री राम विलास पासवान : जब आपने यह कहा कि र्वा 2001 पर हो जायेगा तब कहा।

श्री अरुण जेटली : राम विलास पासवान जी, आपने जो कहा, उसे मैं आपको याद दिला दूं। जब ऑल पार्टी की पहली बैठक हुई तब 2001 का समर्थन करने वालों में आप सबसे आगे थे। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं आज भी हूं। â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : उसके बाद जब आपको कहा कि इसकी वजह से अनसेटर्निटी पैदा होगी तब आपने कहा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों का भी यही था कि हमें प्रयास करना चाहिए कि र्वा 2001 का सेन्सस जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करें। आज भी उनका वही स्टैंड है और सरकार का भी वही स्टैंड है।इसलिए आज डीलिमिटेशन कौन करेगा और किस प्रकार से इसकी व्यवस्था होगी। सैन्सस की रिपोर्ट आएगी, वह नोटीफाई होगी। सैन्सस की रिपोर्ट शीघ्र आए, सरकार इसका प्रयास कर रही है। मैंने स्वयं डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन से बात की। उन्होंने भी यह कहा कि कौन्सटीट्यूशन अमैंडमैंट हो गया, कानून में परिवर्तन नहीं हुआ, हम खाली बैठे हुए हैं। कम से कम सैन्सस के जो ड्राफ्ट फिगर आए, उनका एक अच्छा तर्क था, जिसे सुनकर आपको सैटिसफैक्शन होगी, कि 1991 के बेसेज पर हमने जो किया, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का माडल बन गया। हमने गतिविधि आगे बढ़ाई। अब जो ड्राफ्ट फिगर्स आ रहे हैं, हम सैन्सस के अधिकारियों से उनको लेने का भी प्रयास करते हैं। अपने उस माडल को, जो भी उसमें संशोधन चाहिए, वह करते हैं। हमने जो कार्यवाही करनी है, उसे आगे बढ़ाते रहें, इसका प्रयास करते हैं और जब नोटीफाइड फिगर्स आएंगे, उन नोटीफाइड फिगर्स में अगर कोई दो-चार परसैंट का अंतर होगा, उसके आधार पर भी हम करेंगे। तब हम सारी कार्यवाही आरंभ करें, इससे बेहतर होगा कि हम इसकी कुछ न कुछ कार्यवाही अभी भी करते रहें ताकि हम इसे बहुत शीघ्र कर पाएं। यह किस-किस विाय के ऊपर आधारित है। आप तो अब विपक्ष में बैठे हैं। आपके लिए तो यह कहना बहुत सरल है कि सरकार की नीयत नहीं है। लेकिन आप इतने वरिठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि सरकार डीलिमिटेशन करती नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन में तो आप स्वयं भी बैठेंगे। उसमें चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि बैठता है, चेयरमैन एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना न्यायाधीश है, स्टेट इलैक्शन कमीशन का एक नॉमिनी बैठता है, उसके बाद लोक सभा में सरकार और विपक्ष के सदस्य बैठते हैं, विधान सभाओं के संबंध में विधान सभाओं की सरकार और विपक्ष के सदस्य बैठते हैं। हर राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दल की सरकार है, जितनी जल्दी ऐसोसिएट मैम्बर और मैम्बर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे, सरकार उसके बाद उसे नोटीफाई कर देगी। इसलिए खड़े होकर कहना कि सरकार की यह नीयत नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हम तो नौ महीने से मैम्बर होकर बैठे हुए हैं।

श्री अरुण जेटली : आप नौ महीने से इसलिए बैठे हुए हैं कि हम इस सदन की सर्वसम्मति का आदर करते हैं, आदर इसलिए करते हैं कि इस सदन के सदस्यों ने खड़े होकर बजट सैशन में हमसे यह प्रश्न किया कि जिस प्रकार से उसकी गतिविधि चल रही है, वह उचित नहीं है। आप उसका दूसरा कारण भी समझिए। जो तर्क दिया गया था, जिस कॉज़ को आप ऐडवांस कर रहे हैं, उसके और पक्ष में जाता है। जो आज डीलिमिटेशन होगा, वह 2026 तक चलेगा। अब केवल 2031 का चुनाव नए डीलिमिटेशन से होगा। अगर आप 1991 के सैन्सस के आधार पर कर दें, केवल इस चुनाव को सामने देखते हुए, तो अगले छः चुनावों के लिए जो संख्या होगी, वह कम आधार की होगी।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : क्या डीलीमिटेशन दस साल के बाद नहीं होगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : इस कानून के तहत नहीं होगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सीट नहीं बढ़ेगी लेकिन डीलिमिटेशन तो हर दस साल के बाद होगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अगर उस समय का सदन कुछ करेगा, सीटें बढ़ाने या इसकी डीलिमिटेशन करने की बात, वह स्थिति तब आएगी, वह तब के सदन पर होगा। आज यह स्थिति है कि अगर 2001 के बेसेज़ पर होगा तो अगले कुछ चुनावों के लिए संख्या बढ़ेगी भी। केवल इसलिए 2004 तक हो जाए, हम इसलिए प्रसन्न हो गए कि सरकार का आरंभ से यह प्रयास रहा है कि 2004 तक हो जाए। जहां तक सरकार का रवैया है, इसमें मैं आपको स्टेजेस बता देता हूं। हमने डीलिमिटेशन आयोग को कहा कि जो डाटा आ रहा है, आप उसके आधार पर अपनी गतिविधि शुरू कर दीजिए। इसीलिए इसे अध्यादेश के रूप में लाएं। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल

के साथ सम्पर्क कर लिया। जब फाइनल नोटीफाइड फिगर्स आएंगे, उनके बेसेज पर वे अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे, पब्लिक हियरिंग शुरू करेंगे, अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। जब वे उसे आगे बढ़ाएंगे और सरकार को जितनी जल्दी रिपोर्ट देंगे, सरकार पब्लिक नोटिस और ऑब्जैक्शन के लिए उसे नोटीफाई कर देगी। यह विाय ऐसा नहीं है कि केवल सरकार अपने आप तय कर ले, इस विाय में तो हर स्तर पर हम आल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, आल पार्टी मीटिंग से डिसकस करते हैं। अगर चुनाव से चार-छः महीने पहले आ गया तो फिर आप सबसे बात करेंगे कि इसे नोटीफाई करें, अगर चुनाव के केवल महीने या डेढ़ महीने पहले आया तो सांसद खड़े होकर कहेंगे, जैसे जाधव जी ने कहा कि मैं अंत तक इस सस्पैंस में नहीं रहना चाहता कि मेरी सीट यह वाली होगी या वह वाली होगी। उसके बाद जो एक आम राय बनेगी, क्योंकि चुनाव केवल सरकार या एनडीए का विाय नहीं है, सबका विाय है, उसके बाद इसके ऊमर जो कनसैन्सस बनेगा, हमें तुरंत नोटीफाई करना है क्योंकि आपने ठीक कहा कि यह कठिनाई जैनविन है कि आज जो यह गतिविधि हो रही है, अगर मैं अंग्रेजी शब्द कहूं it is at the eleventh hour, इसलिए उसकी वजह से एक विचित्र स्थिति बनी है। अगर 1991 के डीलिमिटेशन का आधार चलता रहता तो डीलिमिटेशन कमीशन ने स्पट किया था कि हम एक साल पहले आपको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन हम इस सदन का आदर करते हैं जिसने तय किया कि इसे 1991 नहीं, 2001 के आधार पर करना चाहिए और उस वजह से यह कठिनाई आई है। सरकार को उसपर शीघ्र निर्णय करने और रिकमैंडेशन करने के लिए कोआपरेशन चाहिए।अब डी-लिमिटेशन कमीशन की समस्या सुन लीजिए। कई स्थानों पर जैसे नागालैंड के संबंध में यह कहा गया कि वहां पर एक शब्द यूज किया गया, There is an emotional logic also which is involved in that. That is what the hon. Member said. These kinds of factors for the change of constituencies are involved. There are protests in some areas. मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर गया था तो वहां एक क्षेत्र के अंदर बंद का आह्वान हो गया था कि हमें डी-लिमिटेशन नहीं चाहिए। इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी तो उस स्पीड को सरकार नियंत्रण नहीं कर पाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी शीघ्र इसकी रिपोर्ट आ जाए, उतनी शीघ्र हम नोटिफाइ करेंगे और आप सबकी राय लेने के बादâ€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह कब तक होगा? आपने पिछली बार सितम्बर कहा था।â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : डी-लिमिटेशन आयोग में आप बैठेंगे और सरकार उसका समय बताएगी?â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हम वहां नहीं बैठ रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : इसमें राजनैतिक विाय यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सेंसस की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है?

श्री अरुण जेटली : हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। पूरे डॉटा के आधार पर होनी चाहिए। इस साल के अंत तक रिपोर्ट के आने की पूरी संभावना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वह शीघ्र आ जाए। जहां तक दूसरे प्रश्न माननीय सदस्यों ने जो उठाए हैं कि इसमें इसका क्या आधार होगा, There are several bases which are mentioned in the 2001-02 Act itself. There is no one basis. The bases are that you will make the constituencies nearly as equal as possible. एकदम अर्थमैटिकली क्वॉलिटी संभव नहीं है, नीअरली एज ईक्वल एज पॉसिबल। दूसरे, उसके जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उसकी टोपोग्राफी है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कम्युनिकेशन के साधन क्या हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है कि अगर एक ही जिले में आ जाए तो दो जिलों में उसको मत बांटिए। ये सारे आधार हैं जिस कानून को हम पारित कर चुके हैं, उस कानून में स्पट रूप से लिखे हुए हैं और उस आधार के ऊमर यह बिल पारित हो चुका है, वह एक्ट में है। यह संविधान का एक कंसीक्वेंशियल अमेंडमेंट हम लोग लाए हैं। अगर सभी राजनैतिक दल यहां पर और राज्यों में उसके लिए कोआपरेट करते हैं, The sooner we get the Delimitation Commission Report, the happier we will be to implement it earlier.

SHRI K.A. SANGTAM : If the sentiments of the people are expressed, then only you should increase the Assembly Constituencies and make the adjustment. Otherwise, *status quo* should remain.

SHRI ARUN JAITLEY: I respect your views. Unfortunately, though you are raising it in the case of Nagaland where we would like things to be done very harmoniously for many good reasons, once you frame an Act and the Constitutional amendment, the Delimitation Commission has to go by that. Once we introduce that in some States, the sentiments of the people will be taken into consideration while determining the constituencies. What will happen? It may have one logic in the case of Nagaland. It may have a different kind of logic in other States. Somebody will say that the sentiment in my area is that you should do it in such a manner that the caste dominates this constituency; then religion dominates this constituency. The argument based on sentiment is extremely important in public life and politics. But to give it a constitutional shape itself will be extremely difficult. I hope the hon. Member, with his seniority and wisdom, will understand it. When the Delimitation Commission goes there, your representatives are going to sit as a part of it. I am sure, whatever you have to say with regard to any constituency, your representatives will say about it.

SHRI K.A. SANGTAM : Suppose, there is a demand that you should do it only when the request comes from the Government and the people; till the number of seats is increased − Assembly as well as Parliament − you should not touch it. If there is such a thing, can you go against that? The sentiments of the people have been expressed in my constituency.

SHRI ARUN JAITLEY: You raise it before the Delimitation Commission. If it is possible for them to consider this argument, they can. I would suggest what Shri Paswan has said. His intentions are that the effect of this is that representation and reservation must have proportional representation to the constituency. I remember that we had passed it in the Cabinet. He was very jubilant when we adopted it. Now, it is getting delayed because of reasons that are out of our control. We try to expedite as far as possible so that we are able to notify it as quickly as possible.

श्री राम विलास पासवान : आप अपनी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पॉवर्स का इस्तेमाल कीजिए तो हो जाएगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैंने आपको यह बात कही कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन फिर भी जो ड्राफ्ट डॉटा आ रहा है, हमने डी-लिमिटेशन कमीशन के अध्यक्ष को कहा कि आप ड्राफ्ट डॉटा पर ही काम करिए।

श्री राम विलास पासवान : आप कहेंगे तो हो जाएगा।

SHRI ARUN JAITLEY: With these words, I commend to the House that this Bill be passed.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Chairman, Sir, I would again like to reiterate my point that there is no justification for bringing this ordinance. In the absence of authenticated Census data the Delimitation Commission cannot proceed further and, therefore, the course of the Government taking the ordinance route was not required. So, I strongly defend that my act of giving notice for disapproval of this ordinance is justified.

Sir, as far as the other interpretations of the Law Minister about the process of delimitation are concerned, as I understand from Shri Ram Vilas Paswan, in December, 2002 itself the Delimitation Commission desired that delimitation of constituencies should be done as per 2001 Census. But that information was kept secret from all of us.

Sir, during the course of functioning of the Delimitation Commission, the Associate Members felt that things are not being done in a proper way. Then, an all-party meeting was called and some of us have informally come to the view that 2001 Census would give more justice to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the delimitation would be proper in 2004. In the all-party meeting, the overwhelming consensus was to do delimitation on the basis of 2001 Census, but even in that meeting we were not told that the Delimitation Commission was also in favour of 2001 Census, on their own, as per the letter of Justice Kuldip Singh. So, I strongly feel that the number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes deserves to be increased in accordance with their population. They are not demanding for not dereserving their constituencies. They say that dereservation of constituencies should be done where it is necessary, but they also say that seats should be reserved where it is necessary and where there is a demand for it.

Now, I would like to put forward four apprehensions for his consideration. My first apprehension is, how will the Associate Members function? There is no codified arrangement for the functioning of Associate Members and Associate Members are treated as invitees for a cup of tea. I would like to know whether their contribution will stand any merit.

My second apprehension is a very important one. The moment the Census data is available, that should be given to the Delimitation Commission. I do not deny that, but instantly that should also be given to the Associate Members of the Delimitation Commission so that they can do their homework to compare the draft proposed by the States and to be given to the Delimitation Commission.

My third apprehension is about reorganisation of districts. Since the Delimitation Commission said very rightly that they want to accommodate equal proportion of the population to the constituencies and at least accommodate them in one district, will the Government ensure that no reorganisation of any district is done in any State till delimitation is completed on the basis of 2001 Census? Otherwise, it will again hamper the whole process of delimitation. Some people will be represented in four districts. I am told that in the State of Nagaland, one Assembly is one district now. These kind of things are there.

My fourth point is that the Registrar General of India should be taken into confidence about the urgency of this amendment so that he can use his office to expedite the release of Census data. I have high regard for the Chairman of the Delimitation Commission. He is a distinguished jurist of the country with very high integrity and reputation. I congratulate the Government for having chosen him for this job because he is a man free from all controversies and above board. He will definitely ensure justice to every quarter provided he gets the input. So, I would request the Government to talk to the Delimitation Commission and strengthen the arms of the Associate Members.

Sir, I would also like to know whether the Associate Members of the Delimitation Commission will continue in their position now after it has been decided to carry out delimitation on the basis of 2001 Census or they will have to be changed, because they were appointed to carry out delimitation on the basis of 1991 Census.

These are my apprehensions. Finally, I would again reiterate my point that the ordinance route taken recourse to by the Government was not justified and therefore I plead that the Statutory Resolution disapproving the ordinance be approved by the House.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That this House disapproves of the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 6 of 2003) promulgated by the President on 31 October, 2003."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to amend the Delimitation Act, 2002, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.